विभाग के अधिकारी द्वारा अवैध सी0डी0/वीडियो पकड़ने के लिये छापे आयोजित कराये जा सकें। प्रदेश में जहां कहीं भी मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट पायेंगे तो वे तत्काल संबंधित पुलिस थाने में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 अथवा 63-क का उल्लेख करते हुये प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। ऐसी प्राथमिकी दर्ज होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी तत्काल अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट जब्त करके मामले की कड़ाई से विवेचना करेंगे और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अभियोजन की कार्रवाई करेंगे।

(ii) अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट के स्टॉकिस्ट भी इस अवैध कारोबार में शमिल होते हैं, किन्तु ऐसा पाया गया है कि इनके यहॉ सामान्य छापे का इलाके के व्यापारी मिलकर विरोध करते हैं। इसलिए स्टॉकिस्ट के यहॉ पर्याप्त पुलिस बल के साथ किसी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापे डलवाये जायें।

(iii) जहां भी अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट पकड़े जायें, उसमें कानून के अन्तर्गत लिये गये कड़े कदमों का मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि अवैध व्यापार में संलिप्त स्टॉकिस्ट तथा वीडियो लाइब्रेरी के स्वामियों के मन में ऐसे अवैध कारोबार के प्रति भय पैदा हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से प्रत्येक माह प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन तथा मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव,

संख्याः 1028 (1)/11-6-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

आज्ञा से

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव,

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः १९२७ /प्र0क0-03/के0-07/2010-11 लखनऊःदिनांक २५ जुलाई,2010

प्रतिलिपि को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करके अपने जनपद में संचालित अवैध वीडियो/सी0डी0 कैसेट की बिक्री/निर्माण/भण्डारण पर छापे डालते हुए सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाये तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

1. समस्त उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त,उ0प्र0।
2. समस्त जिला मनोरंजन कर अधिकारी,उ0प्र0।
3. समस्त प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक,उ0प्र0।

(मुकेश मोहन मिश्र)
आयुक्त।

महत्वपूर्ण

संख्या–1028/11–6–2010–29सी(14)/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2010

विषयः– अवैध वीडियो कैसेट/सी0डी0 पर प्रभावी नियत्रंण लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि अवैध वीडियो कैसेट/सी0डी0 का विकय करना, उसे किराये पर उपलब्ध कराना या उनका प्रदर्शन आयोजित करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के अन्तर्गत अपराध है। धारा 64 के अन्तर्गत उप–निरीक्षक स्तर के अथवा उससे ऊपर स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट को जब्त करके अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है। इन व्यवस्थाओं के होते हुये भी प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में अवैध सी0डी0/वीडियो कैसेट का प्रसार होना शासन के संज्ञान में आता है, जिससे सिनेमा व्यवसाय को तथा उससे प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर के राजस्व की गम्भीर क्षति होती है।

2. उपरोक्त को देखते हुये सम्यक् विचारोपरांत आपको निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये जाते है :

(i) गृह विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–6131/छ:पु:–3–2000–79 पी/2000 दिनांक 03.10.2000 में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल की सेवायें उपलब्ध करायी जाये। इस कार्य हेतु जिला मुख्यालय के एक क्षेत्राधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये ताकि मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी उनसे सम्पर्क कर पुलिस सहायता प्राप्त कर लें। कृपया इस संबंध में जनपद स्तर पर तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ताकि मनोरंजन कर